



2026:AHC:12664

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 34816 सन् 2024

रणधीर सिंह

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: निखिल कुमार, वागीश यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

सिविल विविध वापसी आवेदन संख्या 2 वर्ष 2025 पर आदेश:

1. उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। उक्त आवेदन याचीगण के पुत्र दीपक कुमार के शपथपत्र द्वारा समर्थित है।
2. उक्त आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के पैरा-6 में कहा गया है कि निजी प्रत्यर्थीगण एवं याचीगण के मध्य समझौता हो गया है। अतः प्रस्तुत रिट याचिका वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
3. दर्शाया गया कारण पर्याप्त है। आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश:

चूँकि वापसी आवेदन स्वीकृत हो चुका है, अतः प्रस्तुत रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।